Indian Railway
Banaras Locomotive Works
Varanasi – 221004

MISC-52

No – GM(P)ER/Miscellaneous-Pt-I

Office of the –GM(P)
Dt -29-12-2021

All Concerned
BLW/Varanasi & Sealdah
BLW Camp Office-New Delhi

Sub: - Guidelines regarding Preventive Measures to contain the spread of Covid .

A copy of Chief Secretary – Uttar Pradesh Govt's Letter No. 2141(1)/2021 –CX3 dated 24-12-2021 is forwarded herewith for information and guidance.

DA- 03 Pages

(Shyam Babu)
Dy. Chief Personnel Officer(HQ)
For General Manager (P)

Copy for information and necessary action :-

4. Joint Secretary and Staff Council Members
5. Secretary SC/ST and OBC Association
6. Secretary, RREA/BLW

संख्या–2141/2021–सीएक्स–3

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वाराणसी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 **दिनांकः 24 दिसम्बर, 2021**

विषयः–कोरोना संक्रमण के संबंध में सतर्कता बरतने हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–1054/2021–सीएक्स–3, दिनांक 19.06.2021 तथा 1698/2021–सीएक्स–3, दिनांक 27.09.2021 के क्रम में सम्यक् विचारोपरांत वर्तमान में कोरोना संक्रमण के संबंध में दिनांक 25.12.2021 की रात्रि से विशेष सतर्कता बरतने हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

(1) सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाये। इसे सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जिला प्रशासन व पुलिस लगातार अनुश्रवण करेंगे।

(2) कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुये रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवायें एवं मालवाहक वाहनों, एम्बुलेंस आदि को आने–जाने की अनुमति होगी। साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिस कर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आई0डी0 के आधार पर आने–जाने की अनुमति होगी।

(3) बाजारों में **"मास्क नहीं तो सामान नहीं"**, के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाय। बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दें।

(4) शापिंग माल्स/सुपर मार्केट में बिना मास्क विचरण न किया जाय। शापिंग माल्स/सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्प डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी।

(5) निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबन्धन में सराहनीय कार्य किया है। कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत गाँवों एवं शहरी वार्डो में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव किया जाए। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से ग्राम्य विकास एवं नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल निर्देश जारी किये जायेंगे, जिनका जिले स्तर पर प्रतिदिन अनुश्रवण किया जायेगा।

(6) शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगीः–

(i) बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी।

(ii) खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 % तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड–19

प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वारा पर की जायेगी।

(iii) आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(iv) सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध करायेंगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में वह कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन भी सुनिश्चित करायें।

(7) जनपदों में जिलाधिकारी विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करेंगे, हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट कड़ाई से किया जाये तथा अन्य देशों के भी विदेशी यात्रियों का रेन्डम सेम्पल लेकर आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट प्रभावी रूप से किया जाये।

(8) जनपदों में जिलाधिकारी अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के संबंध में निगरानी समिति से रिपोर्ट लेकर उनका आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ रेलवे एवं बस स्टेशनों पर एण्टीजन टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें एवं संदिग्ध यात्रियों का विवरण लेकर आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(9) समस्त जिलाधिकारी जनपदों में इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड कण्ट्रोल सेन्टर (ICCC) के माध्यम से प्रभावी रूप से ट्रैक-टेस्ट-ट्रीटमेन्ट की कार्यवाही करायेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर अनुश्रवण करेंगे।

(10) स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबन्धक एवं प्रधानाध्यापक स्कूल/कालेजों में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ-साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

(11) कोरोना के रोकथाम हेतु स्थायी एवं अस्थायी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का पुनः प्रभावशाली रूप से व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाये एवं पी0ए0 सिस्टम की सूचना गृह विभाग को दिनांक 28.12.2021 तक गृह कन्ट्रोल रूम की ई-मेल आई0डी0 shome@nic.in पर उपलब्ध करायी जाय।

(12) इस संबंध में गृह विभाग के अतिरिक्त नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क एवं कोविड केयर सेन्टर की व्यवस्था की जाय एवं प्रतिदिन की रिपोर्ट औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(13) अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे जनपदीय प्रशासनिक पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए करते हुए रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग की कार्यवाही की सूचना प्रतिदिन उपलब्ध करायेंगे।

(14) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम प्रतिदिन बस स्टेशनों पर की गयी स्क्रीनिंग की सूचना गृह विभाग को उपलब्ध करायेंगे एवं परिवहन निगम एवं उसमें अनुबन्धित बसों में सेनेटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(15) निजी बसों के संबंध में परिवहन आयुक्त सभी निजी बस आपरेटरों से समन्वय स्थापित करते हुए निजी/प्राइवेट बसों में कोरोना प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। इससे संबंधित सूचना गृह विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(16) समस्त औद्योगिक इकाईयों को रात्रि कालीन कर्फ्यू से पूर्णतया छूट रहेगी।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

24.12.2021

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या–2141(1)/2021–सीएक्स–3 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य/नगर विकास/ग्राम्य विकास विभाग कृपया अपने स्तर से आदेश जारी करने का कष्ट करें।

(5) पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवायें, उत्तर प्रदेश।

(6) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।

(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव